श्री गौतम कृष्णा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–18/02/583 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–	
क्या यह बात सही है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कोसी प्राधिकार (कोसी विकास प्राधिकरण) का गठन कर कोसी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालिक समाधान हेतु कार्य योजना बनाने का निर्देश बिहार सरकार को दिया गया है, परन्तु इस दिशा में अबतक कोई कार्य प्रगति नहीं दिख रहा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए कोसी क्षेत्र में उक्त कोसी प्राधिकार का गठन करने का विचार रखती है, नही तो क्यू?	वस्तुस्थिति यह है कि:– माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं०–4176/2022 श्री अरविन्द कुमार बनाम भारत सरकार व अन्य मामले अन्तर्गत नेपाल क्षेत्र में 'कोसी हाई डैम' निर्माण संबंधी वाद वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–04.02.2023 को पारित आदेश में भारत सरकार, नेपाल एवं बिहार सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए 'कोसी विकास प्राधिकरण' के गठन का निदेश दिया गया था। 'कोसी विकास प्राधिकरण' का गठन एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण इसपर अग्रेत्तर कार्रवाई जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित है। उक्त निदेश के आलोक में माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा पत्रांक–165 दिनांक–06.03.2023 के माध्यम से भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, परन्तु इस संबंध में सूचना अबतक अप्राप्त है। बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालिक समाधान हेतु नेपाल भाग में बनने वाले कोसी हाई डैम का निर्माण बिहार सरकार की प्राथमिकता में है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(वी0)–05–31 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 583 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुप्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(वी0)–05–31 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(वी0)–05–31 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(वी0)–05–31 / 2026– 1373 पटना, दिनांक– 23/03/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.03.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

20.3.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo